राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बोरवा

प्रकरण सं. – 116/2014 रे0वा0

निर्णय दिनांक –06.07.2015

अनवान

1. श्री घीसी पुत्री मिसरू उर्फ जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 मिसरू उर्फ मसरू वल्द करीमा जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री मांगु वल्द मिसरू उर्फ मसरू जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 मिसरू उर्फ मसरू वल्द करीमा जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।
3. राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक भीम
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय राजसमन्द
5. सुबाना वल्द नजरूजी जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम
6. हबीब वल्द नजरूजी जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम
7. कमरू वल्द नजरूजी जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम
8. जलालुद्धीन वल्द नजरूजी जाति साई निवासी बोरवा तहसील भीम

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

यह कि निम्नवर्णित कृषि भूमि वाकै गांव बोरवा तहसील भीम जिला राजसमन्द में विद्यमान है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	किस्म
151	1933	00	18	00	बारानी 2
	1934	00	12	00	बंझड
	2600	02	13	00	बंझड
	2601	00	04	00	बारानी 2
	2602	00	07	00	बारानी 2
	2603	01	07	10	चाह 3
	2604	02	07	00	बंझड
	कुल किता 07 रकबा 08 बीघा 08 विस्वा 10 विस्वांसी				

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	किस्म
202	1886	00	10	00	बारानी 1
	1887	03	05	00	बारानी 1
	2597	00	04	00	गैमुचाह
	कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 19 विस्वा				

वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का सजरा निम्न प्रकार है:–

मिसरू उर्फ मसरू फौत

घीसी पुत्री वादिया — मांगु पुत्र प्रतिवादी संख्या 1

उपरोक्त सजरे के अनुसार स्व0 मिसरू उर्फ मसरू की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 हुऐ , वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की सगी बहन है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 क पिता मिसरू उर्फ मसरू का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात मिसरू उर्फ मसरू के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी में सयुक्त रूप से वादिया 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त हुऐ। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर मिसरू उर्फ मसरूजी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात कि वादी भी उनकी पुत्री होने के कारण उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत उत्तराधिकारी है, छिपा कर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अपने अकेले का ही नाम गलत व गैर कानूनी रूप से राजस्व अधिकारियो व सम्बन्धित सरपंच ग्राम पंचायत से मिलकर नाम करवा लिया। जबकि स्व0 मिसरू उर्फ मसरू के फौत हो जाने के पश्चात वादिया भी उनकी पुत्री व उत्तराधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं वादग्रस्त आराजी के पद संख्या 1 क मे वादिया का 1/2 हिस्सा व पद नम्बर 1 ख में वादिया का 1/4 हिस्सा है।

वादिया ने दिनांक 07.09.2014 को जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तो ही यह जानकारी हो सकी थी कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया के हिस्से को हजम कर जाने की नियत से राजस्व अभिलेखो में वादिया का नाम अंकित नही करवाया। इससे पूर्व वादिया को इसकी जानकारी

कारण नामान्तकरण में भी स्व0 मिसरू उर्फ मसरू की विरासत में भी स्व0 मिसरू उर्फ मसरू की मृत्यु हो जाने से वादिया की अनुपस्थिति में व उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये गुपचुप तरीके से केवल प्रतिवादी संख्या 1 का ही नाम अंकित किया है। जो कि कतई गलत व गैरकानूनी है जो वादिया के अधिकारो के प्रति शून्य व निष्प्रभावी है व प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादिया का भी नाम अंकित होना चाहिए था। वादिया के पिताजी स्व0 मिसरू उर्फ मसरू की मृत्यु के पश्चात वादिया का भी संयुक्त कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के चला आ रहा है। चुंकि वादिया स्व0 मिसरू उर्फ मसरू की जायन्दा पुत्री है अत एवं उनकी विधिक वारिसा है अतः एव यह द्योषित कराने की अधिकारिणी है कि वादिया भी वादग्रस्त आराजियात पर नम्बर 1 क की 1/2 हिस्से की व पद नम्बर 1 ख की 1/4 हिस्से की अथवा उसका जो भी हक हिस्सा कानूनन बनता हो की खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त है एवं उसका नाम भी राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अंकित कराने की अधिकारिणी है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बोरवा** मे पेश हुआ। वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश प्रदान किये जाते है कि राजस्व अभिलेखो में वादिया का नाम भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द